

**Office of the Divisional Commissioner, Shimla Division,
Shimla-171002**

ORDER

Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW) has been allotted to M/s SJVN Ltd., which is a joint venture of Government of India and Government of Himachal Pradesh, for construction and operation. For the execution of this project the Govt. of H.P. in the Deptt. Of MPP & Power has issued notification No. MPP-F(5)-8/2018-II dated 19-1-2021 u/s 11 (1) of the RFCTLARR, Act, 2013 for acquisition of land measuring 44-25-41 hectare situated in mohal Lunsu, Khaira, Jaishi, Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehna Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan and Majhrog of Tehsil Kumarsain, District Shimla H.P.

Out of the total private land measuring 44-25-41 Hectares to be acquired, land area measuring 43-14-98 hectares lies in 11 villages of Tehsil Sunni, District Shimla and land area measuring 1-10-43 hectare falls in 2 revenue villages of Tehsil Kumarsain, District Shimla.

The Additional District Magistrate (P) Shimla was appointed as Administrator for the purpose of preparing Rehabilitation and Resettlement Scheme under Section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Rule 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016 for the affected families of the above villages. Administrator has conducted the survey and census of affected families and has prepared a detailed draft Rehabilitation & Resettlement scheme for the affected families as per the provisions contained in RFCTLARR, Act-2013. Draft R&R Scheme was given wide publicity by publication in the official gazette and in two daily news papers circulated in the locality and was discussed in the concerned gram sabhas as required under section 16 of the Act. Public hearings were also conducted by the Officers authorized by the Administrator on different dates mentioned in the scheme.


The State Govt. vide notification dated 07.02.2023 has constituted a Committee headed by District Collector under the Provisions of Section 45 of the Act *ibid* for reviewing the progress and implementation of this R&R Scheme. The draft R&R

W. Puro

Scheme prepared by the R&R Administrator and has been recommended by the said Committee for approval.

A meeting was conducted on 10-03-2023 with the R&R Administrator (Additional District Magistrate - P, Shimla), representative of SDO (C) Shimla (R), Land Acquisition Officer and General Manager of the Sunni HEP to discuss the R&R Scheme and to address the grievances raised by some of project affected persons who have submitted written objections to the said scheme. The R&R Scheme was examined in detail and various related issues regarding the entitlements of the affected families as per Schedule-II & III. The R&R Administrator was asked to clarify the position on the low attendance of affected families in the public hearings and to file reply on the representations received before me requesting inadequate publicity of the Scheme. The ADM (P), Shimla has submitted point wise clarification on the issues pointed out. I have given thoughtful consideration and has minutely perused the R&R Scheme including the clarifications given by the ADM(P). It has been specifically clarified that the draft R&R Scheme has given wide publicity in the locality as required under the rules and during the public hearing there were maximum presence of the affected persons in support of which videography was carried out at the spot. The infirmities/shortcomings pointed out in the meeting dated 10-3-23 stand duly addressed by the District Collector.

Now I, Sandeep Kadam, (IAS), Divisional commissioner, Shimla Division and Commissioner Rehabilitation & Resettlement in exercise of power under Section-18 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013, do hereby accord approval to the Rehabilitation & Resettlement Scheme prepared by the R&R Administrator-cum-Additional District Magistrate (P) Shimla for the affected families of land acquisition falling within the jurisdiction of District Shimla subject to the condition that R&R Administrator shall incorporate the legal heirs of all deceased persons in the Scheme before finalizing the award.


Sandeep Kadam, IAS
Commissioner R&R
Sunni Dam HEP, Sunni

'DRAFT'

Rehabilitation and Resettlement Scheme

for affected families

of

**Mohal Pandoa, Gram Panchayat, Bag, Sub-Tehsil Jalog,
Distt. Shimla**

due to acquisition for

Sunni Dam Hydro Electric Project

(382 MW)



INDEX

Sr. No	Contents	Page No.
1.	Index, Background, History of Project and need for formation of R&R Scheme	3-4
2.	Period for the implementation of R & R Scheme	4-4
3.	Definitions	5-6
4.	Elements of R&R Entitlements	7-9
4 (i)	Tables showing various data pertaining to Mohal Pandoa: -	10-10
	Table No.-1 showing details of land owners of Mohal Pandoa and their particulars	11-23
	Table No.-2 details of land less families	24-24
	Table No.-3 details of houses which are under acquisition	25-27
	Table No.-4 details of Houseless families	28-30
	Table No.-5 detail of Cultivator.	31-31
	Table No.-6 details of SC and ST families	32-35
	Table No.-7 details of public utilities under acquisition	36-36
	Table No.-8 R&R Entitlements	37-37
	Table No.-9 Common Assests under acquisition	38-38
	Table No.-10 Due to Acquisition the detail of land owners who are dependent on the land.	39-43
	Table No.-11 Family eligible for financial benefits due to acquisition.	44-50

OFFICE OF THE ADDL. DISTRICT MAGISTRATE-CUM-ADMINISTRATOR, DISTT. SHIMLA, (H.P)

1. BACKGROUND, HISTORY OF PROJECT AND NEED FOR FORMATION OF R&R SCHEME.

REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME FOR THE REHABILITATION OF PROJECT AFFECTED FAMILIES DUE TO ACQUISITION OF LAND MEASURING 44-25-41HECTARES (588.00 BIGHA) IN RESPECT OF MOHAL LUNSU, KHAIRA, JAISHI, BHARARA, TALAH, OGLI, KOTHI, MALGI, BATHORA, PANDOA, GREHANA OF TEHSIL SUNNI AND MOHAL JHUNJAN& MAJROG TEHSIL KUMARSAIN, DISTT. SHIMLA (H.P)

Requiring body/Executing Agency: - SJVN Limited.

Name of Project: - Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW)

1.1 BACKGROUND, HISTORY AND PROVISION FOR THE REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME:

Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW) has been allotted to the M/S SJVN Limited which is joint venture of Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh vide letter No. HPDOE/CE (Energy)/Luhri HEP/Vol-II/2017-4679-80 Dated 29.08.2017 of the Director, Energy, HP for construction and operation. For the execution of above project, the Govt. of HP department of MPP & Power has issued notification No. MPP-F(5)-8/2018-II dated 19.01.2021 under section 11(1) of the RFCTLARR, Act-2013 hereinafter act, 2013 for land measuring 44-25-41 Hectare (588.00 Bigha) situated in Mohal Lunsu, Khaira, Jaishi, Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehana of Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan& Majrog Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla (H.P) in favour of M/S SJVN Ltd. In the above notification the ADM, Shimla has been appointed as administrator for preparing the Rehabilitation and Resettlement Scheme hereinafter R&R Scheme u/s 16 of the act, 2013 read with Rule-7 of the HP RFCTLARR (Compensation, Rehabilitation & Resettlement and Development Plan) Rule-2016 hereinafter Rules, 2016 for the affected families of above villages.

Further, ADM, Shimla vide his office letter no. SML-Rev (Land Acq.)-2020/-1617 dated 06.03.2021 has directed the SDM, Shimla(Rural) and SDM, Kumarsain even letter no dated 08.06.2021 to proceed further as per provisions of ibid act and rules.

- 1.2 Rule 7 of the Rules, 2016 provides that Administrator has to conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months. Keeping in view the direction given by HP Govt. door to door survey and census of the affected families was required to be completed w.e.f. 20.02.2021 to 19.04.2021. But due to Covid-19 this task could not be completed within the stipulated period. After completing survey and census work, Tehsildar, Sunni and Kumarsain detailed draft of R&R Scheme for Mohal Lunsu, Khaira, Jaishi Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehana, Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan& Majrog, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla prepared as per provision in HP RFCTLARR, Act-2013.

Before start of door-to-door survey and census the provisions of the Act 2013 and Rules 2016 were gone through thoroughly, the definitions given in the Act 2013 were found appropriate to discuss the same which are relevant for the preparation of the **draft Resettlement and Resettlement Scheme**. Therefore, such definitions provided under Section 3 of the Act 2013, are reproduced as under: -

2. **PERIOD FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME:**

- Land is being Acquired for reservoir purpose. Therefore, this Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be implemented six months prior to submergence of land.
- Families being displaced are rehabilitated well before taking possession of dwelling houses.
- Rehabilitation and Resettlement monetary benefits detailed in this scheme be paid to the affected families along with compensation of land.

3. DEFINATIONS: -

c) "Affected Family" includes:

- i) A family whose land or other immovable property has been acquired.
- ii) A family which does not own any land but a member or member of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share croppers or artisans or who may be working in the affected area for three year prior to the acquisition of land, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of land.
- iii) The Schedule Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act2006 due to acquisition of land.
- iv) Family whose primary source of livelihood for three years prior to the Purchase of land is dependent on forest or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher's folk and boatmen and livelihood is affected due to acquisition of land.
- v) A member of the family who has been assigned land by the State Government or the Central Government under any of its scheme and such land is under acquisition of land.
- vi) A family residing on any land in the urban areas for proceeding three years or more prior to the acquisition of land or whose primary source of livelihood for three years prior to the acquisition of land is affected by the acquisition of land.

k) "**Displaced Family**" means any family, who on account of acquisition of land has to be relocated and resettled from the affected area to the resettlement area.

m) "**Family**" includes a person, his or her spouse minor children, minor brother and minor sister dependent on him provided that widows, divorcees and women deserted by families shall be considered separate families

Explanation- An adult of either gender with or without spouse or children or dependents shall be considered as a separate family for the purpose of this Act.

r) **“Land owner”** includes any person;

- (i) Whose name is recorded as the owner of the land or building or part thereof, in the record of the authority concerned; or
- (ii) Any person who is granted forest rights under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 or under any other law for the time being in force; or
- (iii) who is entitled to be granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands; or
- (iv) any person who has been declared as such by an order of the court or authority.

3.1 Thus, in view of the provisions given in the definition of the word “family” vide clause (m) of section 3 of the Act 2013, it is quite clear that for the purposes of this Act and for the finalization of the Resettlement and Rehabilitation Scheme, the adult members of a household of either gender with or without spouse or children or dependants are to be considered as a separate family and all such families shall be in the category of the “affected families” if they satisfy the conditions laid in sub clause (i) to (vi) of the clause (c) of Section 3 of the Act 2013 which defines the “affected family”.

3.2 The field survey and census work started by the field revenue staff of Tehsil Sunni and Kumarsain on 20.02.2021. There are 1773 landowners of Tehsil Sunni and Kumarsain. Out of above landowners some landowners were residing at unknown places as their address was not forthcoming even after making enquiry from neighbour landowners. The field staff reported difficulties being faced by them in collection of data and to find out the address/Mobile Nos. of those landowners who are residing out of the affected area. The land is contiguous to left bank of river Satluj.

3.3 Finally even after hindrance due to Covid-19 and field difficulties, survey of all kind of trees, structures enumerated in the presence of landowners and after door to door survey & census data pertaining to landowners and tenants their land holding, Aadhar No., land under acquisition, landless agriculture labourers who lost livelihood due to acquisition of land, common and Govt. property under acquisition, displaced families, infrastructure in the affected area, traders or businesses, village artisans in the affected area, landless and houseless families and Scheduled Castes and Scheduled Tribes families, handicapped or physically challenged persons in the affected area etc. were collected.

4 Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements

Sr.No.	Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements	Provision applicable to the affected families as per Right to Fair Compensation and Transparency in Land Purchase and R&R Act 2013	Whether provided or not (if provided, details to be given)
1	2	3	4
4.1	Provision of housing units in case of displacement	<p>(1) If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq. mts in plinth area.</p> <p>(2) The benefits listed above shall also be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area continuously for a period of not less than three years preceding the date of notification of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by Purchase shall be given more than one house under the provisions of this Act.</p>	Indira Awas yojana has been replaced by Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) wherein Rs 1,30,000/- is being provided for construction of a house and Rs 12000/- for construction of Toilet.
4.2	Land for Land	In the case of irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agricultural land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of the Purchase or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records of rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired. Provided that in every project those persons losing land and belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a one-half acre, whichever is lower.	Not applicable Being hydroelectric project.

4.3	offer for Developed Land	In case the land is acquired for urbanization purposes, twenty per cent. of the developed land will be reserved and offered to land owning project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of Purchase and the cost of development: Provided that in case the land-owning project affected family wishes to avail of this offer, an equivalent amount will be deducted from the land Purchase compensation package payable to it	Not applicable
4.4	Choice of Annuity or Employment	The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options: (a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or (b) one-time payment of five lakhs rupees per affected family; or (c) Annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.	
4.5	Subsistence grant for displaced families for a period of one year	Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount equivalent to fifty thousand rupees. In case of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities	
4.6	Transportation cost for displaced families	Each affected family which is displaced shall get a onetime financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.	
4.7	Cattle shed/Petty shops cost	Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be.	

4.8	One-time grant to artisan, small traders and certain others	Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structures in the affected area, and which has been involuntarily displaced from the affected area due to land Purchase, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees.	
4.9	Fishing rights	In case of irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.	
4.10	One-time Resettlement Allowance	Each affected family shall be given a one-time Resettlement Allowance of fifty thousand rupees only	
4.11	Stamp duty and registration fee	(1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body. (2) The land for house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family.	

On the basis of data collected under Section 16(1) to 16(3) of the Act, 2013 and Rule 7(1) to 7(4) of the Rules 2016 and other related records this draft Rehabilitation and Resettlement Scheme of Mohal under acquisition was drawn up strictly keeping in view the above entitlements in respect of affected families defined under Section 3(c)(i) to 3(c)(v) and 3(m) of the Act 2013 which is as under: -

Mohal Pandoa

In this Mohal land measuring 00.4448 Hectare (5-18 Bigha.) from 40 landowners is under acquisition which is contiguous to right bank of river Satluj and this area falls under Gram Panchayat, Bag, Distt. Shimla.

Particulars of land owners, tenants, land holding, land under acquisition, Aadhar Number and Landless agricultural labourer etc., collected during survey and census of this Mohal are as under: -

- i) Particulars of landowners with Aadhaar number their total land holding, land and immobile property or assets attached to the land which are to be acquired: -**

During the survey and census particulars of landowner's, Aadhar No., Landless, Agriculture labour details of their land holdings, under acquisition have been prepared and tabulated as under: -

Table No-1

महाल पन्दोआ, उप तहसील जलोग, जिला शिमला (हि.प्र.) में अर्जित की जा रही भूमि, अचल सम्पति व मालकान का विस्तृत विवरण

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	खसरा नम्बरान	कुल अर्जित भूमि	हिस्सा	रकबा है.-ए.-सै.	अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में रकबा	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	कच्चा मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन (गौशाला इत्यादि)	मलकियती भूमि में पेड़		वर्ग सामान्य, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, मुस्लिम	भू-मालिक का आधार संख्या	विवरण
									फलदार	गैर फलदार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	संजीव कुमार पुत्र भूमि प्रकाश निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	-	मामूर है	1	21	सामान्य राजपूत	1	



2	हेमन्त कुमार पुत्र प्रेम लाल निवासी पद्दोआ	17	00-00-72	1/12	00-00-06	00-03-69	-	मामूर है	1	21	सामान्य राजपूत	-
3	टेक दास पुत्र प्रेम लाल निवासी पद्दोआ	17	00-00-72	1/12	00-00-06	00-03-69	-	मामूर है	1	21	सामान्य राजपूत	-

4	राजेन्द्र कुमार पुत्र चन्दू निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-68	-	मामूर है।	1	21	सामान्य राजपूत	-
5	नरेश चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	-	मामूर है।	1	21	सामान्य राजपूत	-
6	हेम प्रकाश पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	-	मामूर है।	1	21	सामान्य राजपूत	-

7	लोक चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	-	मामूर है।	1	21	सामान्य राजपूत	-	
8	लीला दास पुत्र अर्जन निवासी पन्दोआ	2 3 19	00-00-40 00-00-37 00-02-90	सालम	00-00-40 00-00-37 00-02-90	00-15-83			3	37	सामान्य राजपूत	-	
9	जय प्रकाश पुत्र केसर चन्द निवासी पन्दोआ	7	00-00-60	सालम	00-00-60	00-03-09	गैर मु0 घराट 2 चक्की जारी 12 माही		3	01	सामान्य राजपूत	-	
10	श्रीमति अर्चना पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।

11	श्रीमति कल्पना पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
12	कुमारी मीरा पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
13	श्रीमति गुलाबी देबी विधवा लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	-	खसरा न0 221 में मुताबिक मोका दो मजिला कच्चा स्लेटपोश मकान दो कमरे उपरी मंजिल में व निचली मंजिला में दो कमरे गौशाला के उपयोग में लाए जा रहे है।	46	24	अनुसूचित जाति	-	मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।

R

14	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	-	उपरोक्त	46	24	अनुसूचित जाति	-	नोट 1:-बरास्त ई.न.149 नोट 2:- मुहाल बठेरा में भी भूमि के मालिक है।
15	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
16	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
17	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
18	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
19	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त

20	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
21	श्रीमती हेम लता पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
22	कुमारी डिम्पल पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-54	00-00-09		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
23	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	-	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	नोट:- 1 ई.न. 144 मकफूद-उल खबरी। नोट 2:- मुहाल बठेस में भी भूमि के मालिक है।

24	कमलेश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	-	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बठोरा में भी भूमि के मालिक है।
25	कुमारी ऐशवर्या पुत्री विनोद कुमार पुत्र करमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बठोरा में भी भूमि के मालिक है।
26	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21		उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बठोरा में भी भूमि के मालिक है।

27	सेवानन्द पुत्र श्रीमति मंगलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/8	00-04-93	00-00-84	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	
28	हेमसिंह पुत्र साहबू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/16	00-02-47	-	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	सायल की भूमि पटवार वृत सैन्ज के महाल मेवल व बठेरा में भी दर्ज कागजात माल है।
29	श्रीमति केसरी देबी पुत्री साहबू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/16	00-02-47	-	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	सायल की भूमि पटवार वृत सैन्ज के महाल मेवल व बठेरा में भी दर्ज कागजात माल है।

R

30	सोहन लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-09	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	नोट- ई0न0 140 वयस्त
31	रुप लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-09	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
32	नूप राम पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-08	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त

33	नरायण दास पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-08	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
34	श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-83	00-00-08	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
35	हुकम चन्द पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/96	00-00-41	00-00-04	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त
36	श्रीमती मोनू देवी पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/96	00-00-41	00-00-04	-	-	-	उपरोक्त	अनुसूचित जाति	-	उपरोक्त

37	श्रीमति बेसरु पुत्री मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/8	00-04-93	00-00-50	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
38	सुनील पुत्र टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-65	00-00-17	-	खाता न0 221 दों मंजिल का कच्चा मकान है रिहाइशी	46	24	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
39	श्रीमति सरोज पुत्री टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-65	00-00-17	-	-	46	24	अनुसूचित जाति	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।

40	श्रीमति पिना विधवा टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-64	00-00-17	-	खाता न० 221 दों मंजिल का कच्चा मकान है रिहाइशी	46	24	अनुसूचित जाति	-
----	----------------------------------	--	----------	------	----------	----------	---	---	----	----	------------------	---

५

Table No-2

विवरण भू-मालिकान जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जन के उपरान्त भूमिहीन हो रहे हैं व आजीविका प्रभावित हुआ हो।

क्रमांक	मालिक का नाम व पता	कुल मलकियति रकबा जो प्रभावित क्षेत्र के भीतर का विवरण	कुल रकबा में से अर्जित रकबा	शेष रकबा	क्या भू-मालिक भूमिहीन हो रहा है ?	क्या अर्जन से भू-मालिक की आजीविका प्रभावित हो रही है ? कृषि के अतिरिक्त अन्य आय के साधन ।	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8
मामुर है							

In this Mahal, no landless due to acquisition of land.

Table No-3**अधियहण के अधीन मकानों का विवरण**

क्रमांक	मकान मालिक का नाम व वर्तमान निवास स्थान	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	अर्जन के अधीन मकान का वर्तमान में किस उपयोग में लाया जा रहा है।	मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र के भीतर रिहायशी मकान के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी मकान होने पर पूर्ण विवरण।	क्या मकान मालिक मकानहीन हो रहे हैं।	मकान मालिक मकानहीन की सूची में मकान बनाने के लिए निजी भूमि उपलब्ध है कि नहीं।	निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने के लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर पुर्नवास के लिए इच्छुक है या नहीं	मकान मालिक आर्थिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निर्मित मकान का इच्छुक है	मालिक का आधार नम्बर	वर्ग	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जय प्रकाश पुत्र केसर चन्द निवासी पन्दोआ	गैर मु0 घराट 2 चक्की जारी 12 माही	-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	सामान्य	9
2	श्रीमति गुलाबी देवी विधवा लीला दास	खसरा न0 221 में मुताबिक मौका दो मजिला कच्चा स्लेटपोश मकान दो कमरे उपरी मंजिल में व निचली मंजिला में दो कमरे गौशाला के उपयोग में लाए जा रहे हैं।	रिहायश	-	हाँ	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	13

3	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
4	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
5	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
6	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
7	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
8	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
9	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ
10	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू

-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	14
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	15
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	16
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	17
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	18
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	19
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	20
-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	23

11	कमलेश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	24
12	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।	-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	26
13	सुनील पुत्र टिकमदास	-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	38
14	श्रीमति पिना विधवा टिकमदास	-	-	नहीं	-	पात्रता नहीं रखता है	पात्रता नहीं रखता है	-	अनुसूचित जाति	40

नोट:- उपरी मंजिल के दो कमरों में रिहायश करती है व निचली मंजिल के दो कमरे गौशाला के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं व अन्य मालकान किसी अन्य स्थान पर मामुली तौर पर रिहायश करते हैं व उक्त मालकान खसरा न0 221 में रिहायश करने का दावा करते हैं।

Table No-4

विवरण मालकान के रिहायशी मकान अर्जन के कारण मकानहीन हो रहे हैं की सूची

क्रम सं.	मकान मालिक का नाम व वर्तमान निवास स्थान	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	कच्चा मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	अर्जन के अधीन मकान का वर्तमान में किस उपयोग में लाया जा रहा है।	मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र के भीतर रिहायशी मकान के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी मकान होने पर पूर्ण विवरण	क्या मकान मालिक मकानहीन हो रहा है?	मकान मालिक मकानहीन होने की सूरत में मकान बनाने के लिए निजी भूमि उपलब्ध है या नहीं ?	निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने के लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर पुनर्वास के लिए इच्छुक हैं या नहीं।	मकान मालिक आर्थिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निर्मित मकान का इच्छुक है?	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रीमति गुलाबी देवी	-	खसरा न0 221 में मुताबिक मौका दो मंजिला कच्चा	रिहायश	-	हाँ	नहीं	-	-	नोट:- मौका अनुसार श्रीमति गुलाबी देवी उपरी मंजिल के दो कमरों में रिहायश करती है व निचली मंजिल के दो कमरे
2	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	स्लेटपोश मकान दो कमरे उपरी मंजिल में व निचली मंजिला में दो कमरे गौशाला के उपयोग में लाए जा रहे हैं।	-	-	नहीं	नहीं	-	-	

3	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	गौशाला के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं व अन्य मालकान किसी अन्य स्थान पर मामुली तौर पर रिहायश करते हैं व उक्त मालकान खसरा न0 221 में रिहायश करने का दावा करते हैं।
4	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	
5	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	
6	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	
7	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	
8	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ			-	-	नहीं	नहीं	-	-	
9	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	-		-	-	नहीं	नहीं	-	-	

10	कमलेश कुमार पुत्र कर्मदास पुत्र मोलू		-	-	नहीं	नहीं	-	-
11	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।		-	-	नहीं	नहीं	-	-
12	सुनील	-	-	-	नहीं	नहीं	-	-
13	पिना	-	-	-	नहीं	नहीं	-	-

1) List of houses under Acquisition:

In this Mohal, 01 house is under acquisition. If a land owner is becoming houseless, then affidavit should be taken from him/her.

Table No-5

अर्जन से पूर्व ही भूमिहीन व जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है, भूमि पर किराएदार, राजस्व अभिलेख में दर्ज काश्तकार इत्यादि अर्जन के कारण आजीविका खोने वालों की सूची

क्रमांक	नाम मालिक	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (है०)	राजस्व अभिलेख में किस्म काश्तकार	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7
मामुर है।						

- 1) Particulars of a family which does not own any land but a member of agricultural labourer, tenants or holding of usufructright, share coppers, artisans who are working in the affected area for the last 3 years prior to the acquisition of the land whose primary sources of livelihood stand affected by the acquisition of land.

During the survey and census, no case of affected families were found whose primary sources of livelihood stand affected.

Table No-6

प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग मालकान जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है एवं अन्य इसी प्रकार के स्थानीय निवासियों की सूची

क्रमांक	नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय व वर्तमान निवास	अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति	अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यक्ति	मानसिक विकलांग	शारीरिक विकलांग	यदि भूमि अर्जन के अधीन है तो भू-मालिक विवरण 1 के किस क्रम संख्या में दर्शाया गया है?	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमति अर्चना पुत्री लीला दास	√	x	x	x	10	x
2	श्रीमति कल्पना पुत्री लीला दास	√	x	x	x	11	x
3	कुमारी मीरा पुत्री लीला दास	√	x	x	x	12	x
4	श्रीमति गुलाबी देबी विधवा लीला दास	√	x	x	x	13	x
5	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	14	x
6	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	15	x
7	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	16	x
8	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	17	x

9	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	18	x
10	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	19	x
11	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	20	x
12	श्रीमती हेम लता पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	21	x
13	कुमारी डिम्पल पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	√	x	x	x	22	x
14	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	√	x	x	x	23	x
15	कमलेश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	√	x	x	x	24	x
16	कुमारी ऐशवर्या पुत्री विनोद कुमार पुत्र करमदास	√	x	x	x	25	x
17	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।	√	x	x	x	26	x
18	सेवानन्द पुत्र श्रीमति मंगलू	√	x	x	x	27	x
19	हेमसिंह पुत्र साहबू	√	x	x	x	28	x
20	श्रीमति केसरी देबी पुत्री साहबू	√	x	x	x	29	x

21	सोहन लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	√	X	X	X	30	X
22	रुप लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	√	X	X	X	31	X
23	नूप राम पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	√	X	X	X	32	X
24	नरायण दास पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	√	X	X	X	33	X
25	श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	√	X	X	X	34	X
26	हुकम चन्द पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	√	X	X	X	35	X
27	श्रीमती मोनू देवी पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	√	X	X	X	36	X
28	श्रीमति बेसरु पुत्री मोलू	√	X	X	X	37	X
29	सुनील पुत्र टिकमदास	√	X	X	X	38	X
30	श्रीमति सरोज पुत्री टिकमदास	√	X	X	X	39	X
31	श्रीमति पिना विधवा टिकमदास	√	X	X	X	40	X

i) Particulars of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who lost any of their forest rights due to acquisition of land.

No private forest land is under acquisition affecting the rights. Hence, Nil.

ii) **Particulars of family whose primary source of livelihood for 3 years prior to the acquisition of the land is dependent on forest or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folk and boatmen and such livelihood are affected due to acquisition of land.**

During the survey and census no such family found.

iii) **A member of the family who has been assigned land by the State Govt. or the Central Govt. under any of its schemes and such land is under acquisition.**
Nil.

iv) **Particulars of trades or businesses in the affected area.**
Nil.

v) **List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes the handicapped or physically challenged persons in the affected area.**

Land of 40 nos. of Scheduled Caste families is under acquisition and no land of Scheduled Tribe is under acquisition. Detail of such families are given



Table No-7

विवरण सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अर्जन के अधीन है		
			शमशान घाट/ कब्रिस्तान	पुल/झूला इत्यादि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	पन्दोआ	बाग	—	एक झूला जो दरिया पर लगा है	खसरा न0.213

- i) Particulars of public utilities and Govt. buildings which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.
Nil

Table No-8

उन सुविधाओं और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है की सूची				
क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	विवरण सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किए जाने से प्रभावित होंगे	विवरण
1	2	3	4	5
1				मामुर है

i) **Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.**

Nil

ii) **Details of any common property resources being acquired.**

Nil

iii) **List of infrastructures in the affected area.**

Nil

iv) **Particulars of entitlements**

On the basis of above, the rehabilitation and resettlement entitlements of each affected family in accordance with Schedule-II of Act, 2013 in respect of Mohal Pandoa is nil.

Table No-9

अर्जन किए जा रहे सामूहिक सम्पति व संसाधनों का विवरण।

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अर्जन के अधीन है										
			कुहल/चश्मा/बावड़ी इत्यादि	पीने के पानी की पाईप लाईन/नल इत्यादि	कच्चा, पक्का आम रास्ता	स्कूल सरकारी व गैर सरकारी व खेल का मैदान	सभी प्रकार की सरकारी सम्पति	शमशान घाट/कब्रिस्तान	पुल/झूला इत्यादि	सामूहिक एकत्र होने का स्थान	चरागाह	अन्य सम्पति व संसाधन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पन्दोआ	बाग	-	3	1	-	-	-	1 झुल्ला	-	हां	-	-

Table No-10

महाल पन्दोआ, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में अर्जित की जा रही निजी भूमि के भू-मालिकों का उस भूमि पर निर्भरता का विवरण।

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	खसरा नम्बरान	कुल अर्जित भूमि	हिस्सा	रकबा है.-ए.-सै.	अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में अन्य रकबा	खाना न० 6 में दर्शिये गए र कवा पर क्या परिवार पूर्णतया निर्भर है या नहीं	यदि निर्भर नहीं तो अन्य साधन जैसे कि अन्य भूमि व नौकरी इत्यादि का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संजीव कुमार पुत्र भूमि प्रकाश निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	नहीं	अन्य भूमि	
2	हेमन्त कुमार पुत्र प्रेम लाल निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/12	00-00-06	00-03-69	नहीं	अन्य भूमि	

3	टेक दास पुत्र प्रेम लाल निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/12	00-00-06	00-03-69	नहीं	अन्य भूमि	
4	राजेन्द्र कुमार पुत्र चन्दू निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-68	नहीं	अन्य भूमि	
5	नरेश चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	नहीं	अन्य भूमि	
6	हेम प्रकाश पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	नहीं	अन्य भूमि	
7	लोक चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	17	00-00-72	1/6	00-00-12	00-07-38	नहीं	अन्य भूमि	
8	लीला दास पुत्र अर्जन निवासी पन्दोआ	2	00-00-40	सालम	00-00-40	00-15-83	नहीं	अन्य भूमि	
		3	00-00-37		00-00-37		नहीं	अन्य भूमि	
		19	00-02-90		00-02-90		नहीं	अन्य भूमि	
9	जय प्रकाश पुत्र केसर चन्द निवासी पन्दोआ	7	00-00-60	सालम	00-00-60	00-03-09	नहीं	अन्य भूमि	
10	श्रीमति अर्चना पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
		216, 220, 217							
11	श्रीमति कल्पना पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
12	कुमारी मीरा पुत्री लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	

13	श्रीमति गुलाबी देबी विधवा लीला दास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
14	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
15	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10	नहीं	अन्य भूमि	
16	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10	नहीं	अन्य भूमि	
17	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-10	नहीं	अन्य भूमि	
18	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
19	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
20	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
21	श्रीमती हेम लता पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-55	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
22	कुमारी डिम्पल पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	उपरोक्त	00-39-49	1/72	00-00-54	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
23	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	

24	कमलेश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-24	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
25	कुमारी ऐशवर्या पुत्री विनोद कुमार पुत्र करमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
26	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/32	00-01-23	00-00-21	नहीं	अन्य भूमि	
27	सेवानन्द पुत्र श्रीमति मंगलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/8	00-04-93	00-00-84	नहीं	अन्य भूमि	
28	हेमसिंह पुत्र साहबू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/16	00-02-47	-	नहीं	अन्य भूमि	
29	श्रीमति केसरी देबी पुत्री साहबू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/16	00-02-47	-	नहीं	अन्य भूमि	
30	सोहन लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
31	रूप लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-09	नहीं	अन्य भूमि	
32	नूप राम पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-08	नहीं	अन्य भूमि	
33	नरायण दास पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-82	00-00-08	नहीं	अन्य भूमि	
34	श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/48	00-00-83	00-00-08	नहीं	अन्य भूमि	

35	हुकम चन्द पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/96	00-00-41	00-00-04	नही	अन्य भूमि	
36	श्रीमती मोनू देवी पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/96	00-00-41	00-00-04	नही	अन्य भूमि	
37	श्रीमति बेसरू पुत्री मोलू	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/8	00-04-93	00-00-50	नही	अन्य भूमि	
38	सुनील पुत्र टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-65	00-00-17	नही	अन्य भूमि	
39	श्रीमति सरोज पुत्री टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-65	00-00-17	नही	अन्य भूमि	
40	श्रीमति पिना विधवा टिकमदास	218, 222, 219, 221, 216, 220, 217	00-39-49	1/24	00-01-64	00-00-17	नही	अन्य भूमि	

उपरोक्त के आधारपर, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन केलिए अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 के अनुसार मोहाल पन्दोआ के प्रत्येक परिवार निम्न आर्थिक देयता के पात्र होंगे:-

Table No-11

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	विस्थापन की दशा में आवासन इकाई की व्यवस्था/एक बारगी भत्ता-ईन्दरा आवास योजना के तहत देय राशि।।	भूमि के लिए भूमि	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	विस्थापित कुटुंब के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	विस्थापित कुटुंब के लिए परिवहन खर्च	पुशबाड/छोटी दुकान खर्च/घराट	कारीगर, छोटे व्यापारी और कतिपय अन्य के लिए एक बारगी अनुदान	मच्छली पकड़ने का अधिकार	एकबारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	स्टॉप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	भू-मालिक का आधार संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	संजीव कुमार पुत्र भूमि प्रकाश निवासी पन्दोआ	-	लागु नहीं होता है।	लागु नहीं होता है।	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
2	हेमन्त कुमार पुत्र प्रेम लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
3	टेक दास पुत्र प्रेम लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

4	राजेन्द्र कुमार पुत्र चन्दू निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
5	नरेश चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
6	हेम प्रकाश पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
7	लोक चन्द पुत्र सीता राम निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
8	लीला दास पुत्र अर्जन निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
9	जय प्रकाश पुत्र केसर चन्द निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	25,000/-	-	-	50,000/-	-	-	
10	श्रीमति अर्चना पुत्री लीला दास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	सुहाल बठेरा में भी मालिक है।

11	श्रीमति कल्पना पुत्री लीला दास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
12	कुमारी मीरा पुत्री लीला दास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
13	श्रीमति गुलाबी देबी विधवा लीला दास	1,42,000/-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	36,000/-	50,000/-	25,000/-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
14	हेम सिंह पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
15	तिलक राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
16	खेम राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।
17	देव राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बठोरा में भी मालिक है।

18	रीतू राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
19	नरेश राज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
20	मनोज पुत्र चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
21	श्रीमती हेम लता पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
22	कुमारी डिम्पल पुत्री चन्दु लाल निवासी पन्दोआ	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
23	सतीश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
24	कमलेश कुमार पुत्र करमदास पुत्र मोलू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।

25	कुमारी ऐशवर्या पुत्री विनोद कुमार पुत्र करमदास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
26	श्रीमती नीमादासी विधवा कर्मदास।	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	मुहाल बटोरा में भी मालिक है।
27	सेवानन्द पुत्र श्रीमति मंगलू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
28	हेमसिंह पुत्र साहबू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
29	श्रीमति केसरी देबी पुत्री साहबू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
30	सोहन लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
31	रुप लाल पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

32	नूप राम पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
33	नरायण दास पुत्र श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
34	श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्रीमती काचनू पुत्र मोलु	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
35	हुकम चन्द पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
36	श्रीमती मोनू देवी पुत्र पुत्र श्रीमती नीमो देवी पुत्री श्रीमती काचनू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
37	श्रीमति बेसरू पुत्री मोलू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।

R

38	सुनील पुत्र टिकमदास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
39	श्रीमति सरोज पुत्री टिकमदास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	नोट :- मुहाल बढेरा में भी भूमि के मालिक है।
40	श्रीमति पिना विधवा टिकमदास	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

ADDL. DISTRICT MAGISTRATE-CUM-ADMINISTRATOR,
Addl. District Magistrate (P) Shimla
DISTT. SHIMLA (H.P)

विस्थापन की दशा में पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) से प्रभावित परिवारों, जिन्हे अर्जित की जा रही भूमि से विस्थापित किया जाना है एवं वासक्षेत्र-भूमि से रहित है तथा जिनके द्वारा इंदिरा / प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान का विकल्प चुना गया है, को **मुहाल खैरा, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी के अन्तर्गत प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी** में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार परियोजना प्रबन्धन द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाएगा।

परियोजना की प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी में विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रबन्धन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुरूप निम्नलिखित अवसरंवात्मक एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-

1. कॉलोनी तक पर्याप्त सड़क मार्ग की व्यवस्था की जाएगी।
2. पुनर्व्यवस्थापन से पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएंगी।
3. सुरक्षित पेयजल व्यवस्था।
4. कॉलोनी के भीतर एवं सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण।
5. कॉलोनी के भीतर एवं सड़क के किनारे पर उचित विद्युत व्यवस्था।
6. सामुदायिक हॉल, बच्चों के लिए खेल मैदान एवं अन्य ढांचागत व्यवस्थाओं को विस्थापित परिवारों की आवश्यकता एवं सहमती/विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त मुहाल खैरा की ग्राम पंचायत चेबडी के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान, पंचायत घर, डाकघर, आंगनवाडी केन्द्र, प्राथमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध है।

w/ Card
Divisional Commissioner,
Shimla Division, Shimla,
H. P. - 171002

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं प्रशासक,
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, जिला शिमला, हि.प्र.।

मुहाल पन्दोआ बठौरा व ग्रैहणा मे जनसुनवाई

भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को वृहत रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्र/गांवों में प्रचारित किया गया। इसके उपरान्त हितबद्ध व्यक्तियों/कास्तकारों को तीन (03) सप्ताह का नोटिस जारी किया गया, जिसमें ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना की जन सुनवाई की तिथि एवं समय निर्धारित किया गया था ताकि हितबद्ध व्यक्ति/ कास्तकार सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना से सम्बन्धित अपने सुझाव, आपत्तियां, यदि कोई हो, को जन सुनवाई के दौरान दर्ज करवा सके।

तदनुरूप दिनांक 16.12.2022 को मुहाल बठौरा, पन्दोआ एवं ग्रैहणा की जन सुनवाई उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण) की अध्यक्षता में आहुत की गई। निर्धारित जन सुनवाई के दौरान हितबद्ध व्यक्तियों/कास्तकारों को सुना गया एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आपत्तियों को जन सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के मुहाल बठौरा, पन्दोआ एवं ग्रैहणा के कुल भू-धारको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया तथा जिला प्रशासन एवं परियोजना प्रबन्धन के निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई:-

1. श्री अशवनी सूद, भू अर्जन अधिकारी, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
2. श्री बलजीत सिंह, वरिष्ठ अपर महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
3. श्री नायब तहसीलदार, सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. ।
4. श्री शैलेश दत्त, वरिष्ठ प्रबन्धक (मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
5. श्री कमलेश भारद्वाज, प्रबन्धक (आर एण्ड आर) सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
6. श्री जगतार सिंह, सहा. प्रबन्धक (सिविल/मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना
7. श्री तरुण उपाध्याय, सहायक प्रबन्धक (आर एण्ड आर), निगम कार्यालय, शिमला।

जन सुनवाई की शुरुवात में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), शिमला-ग्रामीण, शिमला द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उपस्थित सभी मालकानों/हितबद्ध व्यक्तियों का अविवादन किया एवं सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के मुख्य बिन्दुओं एवं प्रावधानों से अवगत करवाया गया। तदोपरान्त नायब तहसीलदार, सुन्नी द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा दिए जाने से की गई। इसके उपरान्त जन सुनवाई के अध्यक्ष/उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण) एवं एसजेवीएन अधिकारियों द्वारा उपस्थित भू-धारको/हितबद्ध व्यक्तियों को सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में दिये गए प्रावधानों से अवगत करवाया गया एवं अंत में हितबद्ध व्यक्तियों/कास्तकारों को ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना से सम्बन्धित उनके सुझावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध कास्तकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझाव/आपत्तियां:-

i) श्री हेम राज, मुहाल बठोरा, ग्राम पंचायत, बाग:-

प्रश्न:- परियोजना द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर तीन तरह के बूर्जी Colour लगाये गए हैं। किस बूर्जी Colour तक परियोजना द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

उत्तर:- इस संबंध में परियोजना प्रबन्धन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना में लाल रंग RFL, पीला रंग Dam Top Level तथा सफेद रंग Govt.Land / Forest Land Boundary को दर्शाता है।

ii) श्री यशवन्त, मुहाल बाग, ग्राम पंचायत, बाग:-

प्रश्न:- हमारी पंचायत से कुछ भू-मालिक भूमिहीन हो रहे हैं तथा लगभग 50 भू-मालिक ऐसे हैं जिनके पास भूमि अधिग्रहण के पश्चात लगभग तीन-तीन बिस्वे से भी कम भूमि बची है। उनके लिए ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में क्या प्रावधान है। हमारा पूरा गांव Sliding Zone में है तथा उक्त गांव में Protection Wall का प्रावधान किया जाना चाहिए। अस्थाई रोजगार की जगह स्थाई रोजगार का प्रावधान होना चाहिए।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण के पश्चात शेष बची भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रभावित गांव या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के आस पास कोई Sliding Zone आता है तो इस संदर्भ में परियोजना के माध्यम से गांव एवं परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिगत Protection works किये जाएंगे। जिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध कास्तकारों द्वारा योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना जाएगा, उनको शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूचि में निहित प्रावधान 4 (a) के तहत रोजगार मुहैया करवाना होगा।

iii) श्री विरेन्द्र शर्मा, मुहाल बठोरा, ग्राम पंचायत, बाग:-

प्रश्न:- मुहाल पन्दोआ में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दिवार लगाई जानी चाहिए। इस गांव में देवता पन्दोई जी का मुख्य मन्दिर है तथा सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र भी इसी गांव में है। स्थानीय लोगों द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के संज्ञान में भी उक्त विषय को लाया गया है। यदि स्थानीय बच्चे रोजगार के सम्बंध में परियोजना कार्यालय आते हैं तो उनके लिए परियोजना में जैसे भी छोटे-बड़े परियोजना निर्माण कार्य चलते रहते हैं तो उन्हें अनदेखा न करे उनके लिए परियोजना में रोजगार दिया जाना चाहिए।

R

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रभावित गांव या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के आस पास कोई Sliding Zone आता है तो इस संदर्भ में परियोजना के माध्यम से गांव एवं परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिगत Protection works किये जाएंगे। जिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध कास्तकारों द्वारा योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना जाएगा, उनको शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूचि में निहित प्रावधान 4 (a) के तहत रोजगार मुहैया करवाना होगा।

iv) श्री रोशन लाल, मुहाल बठोरा, ग्राम पंचायत, बाग:-

प्रश्न:- परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण होने के कारण हमारी भूमि के छोटे-छोटे टुकडे बचे है। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा तथा ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में रोजगार का क्या प्रावधान है।

उत्तर:- जिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध कास्तकारों द्वारा योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना जाएगा, उनको शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूचि में निहित प्रावधान 4 (a) के तहत रोजगार मुहैया करवाना होगा।

v) भीषम प्रकाश पुत्र श्री कांशी राम मुहाल बठोरा, ग्राम पंचायत बाग:-

प्रश्न:- मैं परियोजना प्रभावित परिवार से सम्बन्धित हूं। मैंने एसजेवीएन लिमिटेड में रोजगार के सम्बंध में आवेदन किया था परन्तु मुझे रोल नम्बर प्राप्त नहीं हुआ। कृप्या सपष्टीकरण दे।

उत्तर:- इस संबंध में परियोजना प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदित रोजगार सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये एवं प्रार्थी को आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में एसजेवीएन मुख्यालय से जानकारी प्राप्त कर प्रार्थी को प्रदान कर दी जाएगी।

(vi) श्री रोशन लाल, मुहाल बठोरा, ग्राम पंचायत बाग:-

प्रश्न:- परियोजना भूमि अधिग्रहण के कारण मेरी अढाई बीघा भूमि परियोजना में लग रही है तथा मेरे 10 कमरों वाला मकान की भूमि अधिग्रहण में आ रहा है तथा मेरे पास केवल तीन बिस्वा भूमि ही बच रही है। अतः मेरा निवेदन है कि मुझे Resettlement मेरे गांव में ही दिया जाना चाहिए।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाएगा।

Vii)- जन सुनवाई के दौरान एवं उसके उपरान्त निम्नलिखित हितबद्ध मालकानों द्वारा पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत रोजगार के विकल्प को चुना गया है एवं उनके विकल्प के अनुसार ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन योजना में निम्नानुसार दर्ज कर दिये गए हैं।

नाम	पिता का नाम	मुहाल	चुना गया विकल्प	तालिका 11 में दर्शाये गए क्रम पर दर्ज है।	टिप्पणी
हिमांशु वर्मा	कमल नारायण	बठोरा	रोजगार	35	प्रार्थी भू मालिक नहीं है, अलवता उनके पिता को योजना में दर्ज किया गया है।
हरीश कुमार	चन्दु लाल	बठोरा	रोजगार	37	
देवेन्द्र	सीतु	बठोरा	रोजगार	प्रार्थी की भूमि मुहाल मालगी में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है तथा मुहाल मालगी की ड्राफ्ट योजना तालिका 11 के क्रम संख्या 176 पर रोजगार हेतु दर्ज है।	प्रार्थी देवेन्द्र का खसरा नम्बर 2 भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। जबकि खसरा नम्बर 50 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

viii) सीना वर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत बाग/पन्दोआ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2022 के अनुसार देवता पन्दोई के प्रांगण में टाईल कार्य, स्ट्रीट लाईट, कुडेदान आदि की व्यवस्था एवं ग्राम पन्दोआ में लोक निर्माण विभाग की सडक से नीचे की ओर भू-स्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षा दिवार का निर्माण का आग्रह किया गया।

उत्तर:- इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत सभी ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाओं का क्रियान्वयन भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता


का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं परियोजना की सीएसआर मद के तहत किया जाएगा।

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1949. The data is presented in a tabular form, with the first column representing the different categories of the survey, and the subsequent columns representing the corresponding values or percentages. The table is organized into several rows, each representing a different aspect of the survey results.

Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5
Group A	15	25	35	45	55
Group B	10	20	30	40	50
Group C	5	15	25	35	45
Group D	20	30	40	50	60
Group E	12	22	32	42	52
Group F	8	18	28	38	48
Group G	18	28	38	48	58
Group H	14	24	34	44	54
Group I	16	26	36	46	56
Group J	11	21	31	41	51
Group K	9	19	29	39	49
Group L	13	23	33	43	53
Group M	7	17	27	37	47
Group N	17	27	37	47	57
Group O	6	16	26	36	46
Group P	19	29	39	49	59
Group Q	4	14	24	34	44
Group R	21	31	41	51	61
Group S	3	13	23	33	43
Group T	22	32	42	52	62
Group U	2	12	22	32	42
Group V	23	33	43	53	63
Group W	1	11	21	31	41
Group X	24	34	44	54	64
Group Y	0	10	20	30	40
Group Z	25	35	45	55	65

The data presented in the table above is a summary of the survey results. It shows a clear trend across all groups, with values increasing from left to right in each row. The groups are labeled A through Z, and the values range from 1 to 65. This indicates a consistent pattern in the data collected during the survey.

अन्त में उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण) द्वारा उपस्थित सभी हितबद्ध कास्तकारों को यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना से सम्बन्धित यदि कोई अन्य हितबद्ध कास्तकार अपने सुझाव एवं आप्तियां लिखित रूप में भी कार्यालय तहसीलदार सुन्नी, भू-अर्जन अधिकारी, सुन्नी एवं कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी, (शिमला-ग्रामीण) को जमा करवाया जा सकता है।


उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण)
Sub-Divisional Officer (Civil)
शिमला, जिला शिमला, हि.प्र.।
SHIMLA (RURAL)

